



87

श्री लक्ष्मण जी
हरि 22-2-18
दा. 8/2/18
पन्ना
22-2-18

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प कोर्ट भोपाल मप्र

PBR/मिगरानी/दोशंगाबाद/भू.रा/2018/1760

- १११ महेशचन्द्र गुप्ता पुत्र स्व० जमनाप्रसाद गुप्ता, उम्र 70 वर्ष करीब
- ११२ उर्मिला बाई पुत्री स्व० जमनाप्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग 66 वर्ष
- ११३ गीता गुप्ता पुत्री स्व० जमनाप्रसाद गुप्ता पत्नी श्री पुरुषोत्तम गुप्ता, उम्र करीब 60 वर्ष

सभी निवासी- वार्ड क्र. 1, पुरानी इटारसी, तहसील

इटारसी, जिला- दोशंगाबाद मप्र

---पुनरीक्षा कर्तागिण्ट

बनाम

११४ शारदकृमार गुप्ता पुत्र स्व० सालिगराम गुप्ता

उम्र करीब 60 वर्ष

११५ रेखाबाई पुत्री स्व० सालिगराम, उम्र लगभग 50 वर्ष

११६ संतोष कुमार पुत्र स्व० सालिगराम, उम्र लगभग 70 वर्ष

११७ सतीश कुमार पुत्र स्व० सालिगराम, उम्र लगभग 63 वर्ष

११८ देवेन्द्र कुमार पुत्र स्व० सालिगराम, उम्र लगभग 53 वर्ष

सभी निवासी - प्रभात नर्सरी, पंजा रछेड़ा, तहसील

इटारसी, जिला- दोशंगाबाद मप्र

११९ पित्राबाई पुत्री स्व० सालिगराम पत्नी लवकुमार गुप्ता

उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी- बंदूक वाले की दुकान,

गाजरपट्टी, रायगढ़, जिला- रायगढ़ छत्तीसगढ़

१२० प्रभावती गुप्ता पुत्री भगूलाल गुप्ता उम्र लगभग 67 वर्ष

निवासी- गुप्ता पटाछा भण्डार के सामने, काण्डली रोड़

परतवाड़ा, तहसील अचलपुर, जिला- अमरावती महाराष्ट्र ---उत्तरवादीगण

M.C. Gupta

उ० उ० उ० उ०

गीता गुप्ता

पुनरीक्षा या चिका अंतर्गत धारा 50 म० प्र०-भू-राजस्व सीहता

पुनरीक्षा कर्तागिण्ट की ओर से निम्न निवेदन है:-

र 3

१ अति

पुनरीक्षा कर्तागण अधिसूचना न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय
अधीक्षारी राजस्व इटासी जिला- होशंगाबाद मण्डल के राजस्व प्रकरण
क्रमांक 35/अ-6/2012-13 ग्राम कीरतपुर, जिसमें पक्षकार रमेश ^{चन्द} ~~कुमार~~ गुप्ता
पिरूद शरदकुमार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 17-01-2018 से क्षुब्ध
एवं दूखित होकर निम्नलिखित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की है :-




न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/1760

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-10-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री संदीप दुबे तथा अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री राजेश चौरा अधिवक्ता एवं अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 6 की ओर से श्री ओपीकुशवाह श्री अनावेदक क्रमांक 7 की ओर से श्री सतीश चौहान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। मप्रभू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p>	




(मनोज गोयल)

अध्यक्ष